रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 492] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 1972/कार्तिक 25, 1894
No. 492] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 1972/KARTIKA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November 1972

S.O. 712(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), read with the notification of the Government of India in the late Department of Commerce and Industry, No. 801, dated the 24th March, 1905, the Railway Board hereby makes the following rules further to amend the rules published with the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), No. TCIII/3036/58/Notification dated the 28th August, 1958, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railways (Rules for Warehousing and Retaining of Goods and other miscellaneous matters) (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st day of December, 1972.

2. **Amendment of the Recitals.**—In the rules for Warehousing and Retaining of Goods and other miscellaneous matters (hereinafter referred to as the said rules), in the recitals invoking the power to make the said rules, after the word "Southern", the words 'South Central" shall be inserted.

3. **Amendment of rule 1.**—In rule 1 of the said rules, under the heading "Wharfage on goods, luggage and parcels", for clause (a) and the Table below, the following clause and Table shall be substituted, namely:—

"(a) Except in the manner and to the extent stated in clause (b), wharfage shall be charged at the rates shown in the following Table:—

Circumstances	Time allowed free	Commodities	Rate per 50 Kgs. or part thereof per day or part of a day in excess of free time				Remarks
1	2	3	4				5
Goods Traffic				*Group I stations	*Group II stations	*Group III stations	
				P	P	P	
(i) On goods for despatch waiting to be consigned *i.e.* consignments brought to the station but consignment notes not received.	Closing time of the day on which goods are brought to the station.	(a) For goods of every description except goods in bulk such as coal, charcoal, stone, sand, shingle, etc.	1st day	25	15	10	Goods will in all cases, be at owner's risk until a receipt in the prescribed form has been granted duly signed by an authorised Railway servant.
			2nd day	30	20	15	
			3rd day & thereafter	50	30	20	
				Rate per tonne or part of a tonne per day or part of a day in excess of the free time.			
				Rs.	Rs.	Rs.	
		(b) For goods in bulk, such as coal, stone, firewood, charcoal, sand, shingle, etc.	First 3 days	5	3	2	
			There after	7	5	3	
(ii) On goods available for delivery. (iii) On goods not removed delivery. after	From time of arrival till closing time of the day following that on which goods are made available for delivery.	For goods in bulk and non-bulk.		Rates as applicable to goods in bulk or non-bulk as the case may be.			Goods will be warehoused either under cover or in the open.
Luggage and Parcel Traffic							
Luggage or parcels which cannot be delivered for any cause.	48 hours from the midnight of the day on which the luggage or parcel is made available for delivery.	For luggage and parcels of every description.		Not exceeding 35 paise per 50 Kgs. or part thereof per day or part of a day in excess of the free time.			Luggage and parcels will be warehoused either under cover or in the open.

*NOTE:—The stations will be classified into Groups I, II & III by the Zonal Railway Administrations depending upon the quantum of traffic dealt with in relation to the accommodation available so that Group I applies to Goods Depots and large stations dealing with sizeable goods traffic, Group II to medium sized stations and Group III to road side stations.

4. **Amendment of rule 6.**—In rule 6,—

(i) for the words "Demurrage may be charged at rates not exceeding the following", the following words shall be substituted, namely:—

"Demurrange shall charged at the following rates."

(ii) in the Table, against each of the items (i) and (ii) under column 1, for the corresponding entry under column 3, the following entries shall be substituted, namely:—

"25 p for the first day 30 p for the second day 40 p for the third day and thereafter	for all wagons except vegetable oil tank wagons.
60 p for all days for vegetable oil tank wagons."	

(ii) against item (iii) under column 1, for the existing entery in column 3, the following entries shall be substituted, namely:—

"25 p for the first day

30 p for the second day

40 p for the third day and thereafter.";

5. **Substitution of rule 15.**—For rule 15 of the said rules the following rule shall be substituted, namely:—

"15. (1) The Railway Administration may, if and for so long as the state of traffic or any sudden emergency makes it necessary, and after notifying the intention to do so by exhibiting notices on the Notice Boards available in the goods shed, levy the higher wharfage charge of sixty paise per fifty kilograms or part thereof per day or part of a day on non-bulk commodities and a higher eight hours after the notice is displayed on the Notice Boards in accordance with of an hour.

(2) The higher rates of wharfage and demurrage shall be applicable forty-eight hours after the notice is displayed on the Notice Boards in accordance with sub-rule (1).".

[No. TCI/201/71/9.]

H. F. PINTO, Secy.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1972

एस० ओ० 712 (अ) :—भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग विभाग की अधिसूचना सं० 801 दिनांक 24 मार्च, 1905 के साथ पठित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 को उपधारा 1 के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रेलवे बोर्ड, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं० टी सी–3/3036/58/अधिसूचना, दिनांक 28 अगस्त, 1958 में आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** (1) ये नियम रेलवे (माल का भण्डागारण और प्रतिधारण तथा अन्य विविध विषय) (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये दिसम्बर, 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिवर्णनों का संशोधन**—माल के भाण्डागारण और प्रतिधारण तथा अन्य विविध विषयों के नियमों (जिन्हें एतस्मिन्पश्चात् उक्त नियम कह कर निर्दिष्ट किया गया है) में उक्त नियम बनाने की शक्ति आह्वान करने वाले परिवर्णनों में "दक्षिण" शब्द के बाद "दक्षिण मध्य" अन्तःस्थापित किया जायेगा ।

3. **नियम 1 का संशोधन**:—उक्त नियमों के नियम 1 में "माल, सामान और पार्सलों पर स्थान शुल्क" शीर्षक के अन्तर्गत खण्ड (क) और नीचे की तालिका के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड और तालिका प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) खण्ड (ख) में कथित रीति और सीमा के सिवाय नीचे की तालिका में दिखायी गई दरों पर स्थान-शुल्क लगाया जायेगा :

परिस्थितियां	शुल्क-मुक्त समय	पण्यवस्तुएं	शुल्क-मुक्त समय के बाद प्रतिदिन या उसके अंश के लिए प्रति 50 किलोग्राम या उसके अंश के लिए दर				अभ्युक्ति
1	2	3	4				5
				*स्टेशन वर्ग I	*स्टेशन वर्ग II	*स्टेशन वर्ग III	
माल यातायात				पैसे	पैसे	पैसे	
(1) प्रेषण की प्रतीक्षा में माल, अर्थात् स्टेशन पर लाये गये परेषण जिनकी परिवहण टिप्पणियां प्राप्त न हुई हों।	जिस दिन माल स्टेशन पर लाया गया हो उस दिन काम बन्द होने के समय तक।	(क) कोयला, लकड़ी का कोयला, पत्थर, बालू, शिंगल आदि थोक वस्तुओं के सिवाय हर प्रकार के माल के लिए।	पहला दिन	25	15	10	जब तक कि प्राधिकृत रेल कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित विनिर्दिष्ट रूप में रसीद न दी गयी हो, सभी मामलों में माल मालिक के जोखिम पर रहेगा।
			दूसरा दिन	30	20	15	
			तीसरा दिन और उसके बाद	50	30	20	
			शुल्क-मुक्त समय के बाद प्रतिदिन या उसके अंश के लिए प्रति मीटरिक टन या उसके अंश के लिए दर				
				रुपये	रुपये	रुपये	
		(ख) कोयला, पत्थर, जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, बालू, शिंगल आदि थोक माल के लिए	पहले तीन दिन	5	3	2	
			उसके बाद	7	5	3	

1	2	3	4	5
(2) सुपुदगी के लिए उपलब्ध माल पर (3) सुपुर्दगी के बाद उठाये न गये माल पर	माल पहुंचने के समय से उस दिन के जब कि माल सुपुर्दगी के लिए उपलब्ध हुआ हो अगले दिन काम बन्द होने तक।	थोक माल और अन्य लमा	थोक या अन्य माल जैसी भी स्थिति हो, के लिए लागू होने वाली दरें।	माल या तो छतदार स्थान में रखा जायेगा या खुले में।
सामान और पार्सल यातायात				
किसी कारणवश सुपुर्द न किया जा सकने वाला सामान या पार्सल	सामान या पार्सल जिस दिन सुपुदगी के लिए उपलब्ध हो, उस दिन आधी रात से 48 घंट तक।	हर प्रकार के सामान और पार्सल के लिए।	शुल्क-मुक्त समय के बाद प्रतिदिन या उसके अंश के लिए प्रति 50 किलोग्राम या उसके अंश के लिए 35 पैसे से अनधिक।	सामान और पार्सल छतदार स्थान में रखे जायेंगे या खुले में।

***टिप्पणी :** क्षेत्रीय रेल प्रशासन स्टेशन पर उपलब्ध स्थान को देखते हुए, वहां सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के आधार पर स्टेशनों को वर्ग I, वर्ग II और वर्ग III के रूप में वर्गीकृत करेंगे, ताकि माल गोदामों और अधिक परिमाण में माल यातायात सम्हालने वाले बड़े स्टेशनों को वर्ग I के रूप में, मध्यम आकार के स्टेशनों को वर्ग II के रूप में और छोटे स्टेशनों को वर्ग III के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

4. नियम 6 का संशोधन—नियम 6 में—

(i) "निम्नलिखित से अनधिक दर पर बिलम्ब-शुल्क लगाया जाये" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"निम्नलिखित दर पर बिलम्ब-शुल्क लगाया जायेगा"

(ii) तालिका में कालम 1 से नीचे मद (i) और (ii) में से प्रत्येक के सामने कालम 3 में तदनरूपी इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"पहले दिन के लिये 25 पैसे दूसरे दिन के लिये 30 पैसे तीसरे दिन और उसके बाद के लिये 30 पैसे	बनस्पति तेल की टंकी डिब्बों के सिवाय सभी माल डिब्बों के लिये
बनस्पति तेल के टंकी डिब्बों पर सभी दिनों के लिये 60 पैसे"	

(iii) कालम 1 के नीचे मद (iii) के सामने कालम 3 में वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"पहले दिन के लिये 25 पैसे
दूसरे दिन के लिये 30 पैसे
तीसरे दिन और उसके
बाद के लिये 40 पसे ;"

5. **नियम 15 के स्थान पर**—उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"15. (1) रेल प्रशासन, यातायात की स्थिति और किसी ऐसे आकस्मिक आपात के कारण, जिससे ऐसा करना आवश्यक हो जाये, माल गोदाम में उपलब्ध सूचना पट्टों पर, ऐसा करने के अभिप्राय की सूचनाएं लगाकर, प्रति पचास किलोग्राम या उसके किसी अंश पर प्रतिदिन या उसके किसी अंश के लिये साठ पैसे की उच्चतर दर पर थोक पण्य—वस्तुओं से भिन्न पण्य-वस्तुओं पर, स्थान शुल्क और प्रति मीटरिक टन या उसके किसी अंश पर प्रति घंटा या उसके किसी अंश के लिए साठ पैसे की उच्चतर दर पर विलम्ब शुल्क लगा सकेगा ।

(2) स्थान-शुल्क और बिलम्ब-शुल्क की उच्चतर दरें, उपनियम (1) के अनुसार सूचना पट्टों पर सूचना लगा देने के अड़तालीस घंटे बाद लागू हो जायेंगी ।"

[सं० टी० सी० 1/201/71/9]

एच० एफ० पिन्टो
सचिव, रेलवे बोर्ड,

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971